

देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ...



**JAWAB DO SARKAR**

[www.jawabdosarkar.com](http://www.jawabdosarkar.com)

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी  
सूचना प्रौद्योगिकी(मध्यवर्ती शिक्षानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता)नियम,2021 के नियम 18 के तहत संचालित पोर्टल

रेफरेंस संख्या -2022/kdgl/16

E-Newsletter, Issued in Public Interest

गुरुवार, 28 जुलाई 2022

**मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के तहत स्वीकृत**

**"केडियाज़ दी कोठी" योजना का काला चेहरा**

**आया जनता के सामने!!!**

**सरकारी योजना को बनाया काले धन की फेक्ट्री!!!**

**केडिया दी कोठी में होगी 100 करोड़ से अधिक की मनीलॉडिंग!!!**

**मुख्यमंत्री आवास योजना में अब तक का सबसे बड़ा घोटाला!!!**

**EWS और LIG श्रेणी के आवासों को**

**ऊंचे दामों में सामान्य श्रेणी के ग्राहकों को बेच कर, स्टैम्प ड्यूटी के नाम पर**

**करोड़ों रुपयों के राजस्व को लगाया जा रहा चुना!!!**

**केडिया की धमक के आगे सरकारी सिस्टम फेल!!!**

**सैंकड़ों ग्राहकों को कोठी के नाम पर सपना दिखा कर  
बनाया जा रहा कानून का गुनहगार!!!**

**ग्राहकों के साथ हो रही इस धोखाधड़ी का कौन है जिम्मेदार?  
जेडीए ने दी केडीया को खुली लूट की छूट!!  
क्या प्रोजेक्ट के ली गयी है पर्यावरण स्वीकृति और अन्य जरूरी स्वीकृतियाँ?  
पर्यावरण स्वीकृति के दायरे में आने से बचने के लिए,  
केडीया की जमीन को डेढ़ लाख वर्ग मीटर से कम करने के पीछे किसका हाथ?  
क्या EWS/LIG श्रेणी वाला दे पाएगा 2 रुपए प्रति वर्ग फीट का मेंटीनेंस?  
केडीया के शुभचिंतक अधिकारियों द्वारा और कौन-कौन सी  
रियायतों की रेवड़ियाँ केडीया को बाँटी गयी है?**



## आखिर क्या है केडीयाज़ दी कोठी का मामला?

आपने अक्सर न्यूजपेपर, एफ़एम चैनलो और टीवी चैनलो पर केडीयाज़ दी कोठी का एक विज्ञापन बड़े जोरों शोरों से सुना, पढ़ा और देखा होगा। आप में से अधिकतर उन लोगो ने, जो वर्तमान में अपनी आवश्यकताओं अथवा निवेश के लिए मकान खरीदने की सोच रहे होंगे, इस निजी आवासीय योजना को अवश्य मौके पर जाकर, देखा, समझा भी होगा। लेकिन अक्षय कुमार की आवाज में चलने वाले विज्ञापनों को लेकर या अपनी आकर्षक पंच लाईनों के चलते सुर्खियों में रहने वाली यह निजी आवासीय

योजना अब विवादों में घिरती नजर आ रही है। इस निजी आवासीय योजना की जमीन को लेकर बिल्डर और काश्तकारों के बीच उपजा विवाद अभी शांत भी नहीं हुआ था, इतने में केडीया बिल्डर पर मुख्यमंत्री आवास योजना को काले धन की फेक्ट्री बनाने और EWS और LIG श्रेणी के आवासों को ऊंचे दामों में सामान्य श्रेणी के ग्राहकों को बेच कर, करोड़ों रुपयों के राजस्व को चुना लगाने के खुलासों ने, बिल्डर और सरकारी अधिकारियों के भ्रष्ट तंत्र की पोल खोलकर रख दी है।

## मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 का लाभ लेकर, दो चरणों में बन रही है योजना

केडीया रियल एस्टेट एलएलपी द्वारा ग्राम सिरसी तहसील जयपुर के खसरा संख्या 2227/1 कुल 01 रकबा 3.5916 हेक्टेयर और ग्राम किशोरपुराचारणान तहसील जयपुर के खसरा संख्या 306/1 रकबा 2.9846 हेक्टेयर, खसरा संख्या 307 रकबा 2.8960 हेक्टेयर, खसरा संख्या 309 रकबा 2.9087 हेक्टेयर, खसरा संख्या 310 रकबा 1.7831 हेक्टेयर, खसरा संख्या 311 रकबा 1.2393 हेक्टेयर कुल कितना रकबा 11.8117 हेक्टेयर, इस प्रकार दोनों ग्रामों की कुल कितना 6 रकबा 15.4133 हेक्टेयर भूमि पर मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रोविज़न 3सी के तहत दो चरणों में विकसित की जाने वाली केडीयाज़ दी कोठी का निर्माण किया जा रहा है।

इस योजना के अनुमोदित नक्शों के अनुसार इस योजना पर कुल 1092 आवासीय भूखंड विकसित किए जाने हैं, जिसमें 25% खातेदारों के लिए अर्थात् 191 भूखंड, 682 भूखंड LIG केटेगरी के लिए और 219 भूखंड EWS केटेगरी के लिए आरक्षित किए गए हैं। इसी के साथ 116 दुकानें भी इस योजना में प्रस्तावित हैं। जेडीए की बीपीसी (एलपी) की दिनांक 21/12/2020 को

# ऐतिहासिक

3 BHK कोठी सिर्फ 45 लाख में!

विश्वस्तरीय कंस्ट्रक्शन क्वालिटी और ब्रांड्स से युक्त  
बन रही है आपकी आलीशान कोठी!



NO  
MIDDLE-MEN  
DIRECT  
TO CUSTOMER



Kedia's  
THE KOTHI

SIRSI ROAD, VAISHALI EXTENSION, JAIPUR  
TOLL FREE: 1800-120-23-23  
www.kedia.com | esales@kedia.com

हुई 290वीं बैठक मे  
अनुमोदित हुई इस  
योजना के निर्णय मे स्पष्ट  
कहा गया है कि योजना  
मे मुख्यमंत्री जन आवास  
योजना 2015 के  
प्रोविजन 3सी की  
पूर्णतया पालना की  
जाएगी।

इस योजना मे भूखंडो की  
पाँच श्रेणियाँ रखी गयी  
है, जिन्हे टाइप  
A,B,C,D,E कहा गया  
है। टाइप A के मकानो का  
क्षेत्रफल 89.98 वर्ग  
मीटर, टाइप B के मकानो  
का क्षेत्रफल 44.99 वर्ग  
मीटर, टाइप C के  
मकानो का क्षेत्रफल  
74.96 वर्ग मीटर, टाइप  
D के मकानो का क्षेत्रफल  
89.98 वर्ग मीटर, टाइप  
E के मकानो का क्षेत्रफल  
89.98 वर्ग मीटर रखा  
गया है।



## जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:जविप्रा/उपा./जोन-12/2021/डी- 1181

दिनांक 31/3-2021

मैसर्स केडिया रियल एस्टेट एलएलपी जरिये पार्टनर  
नितिन केडिया पुत्र श्री शिवकुमार केडिया  
निवासी 32, केडिया हाउस, नागल जैसा बोहरा,  
मुरलीपुरा, जयपुर

विषय :- ग्राम सिरसी तहसील जयपुर के खसरा 2227/1 कुल किता 01 रकबा 3.5916 हैक्टर व ग्राम किशोरपुराचारणान तहसील जयपुर के खसरा नम्बर 306/1 रकबा 2.9846 हैक्टर, ख.नं. 307 रकबा 2.8960 हैक्टर, ख.नं. 309 रकबा 2.9087 हैक्टर, ख.नं. 310 रकबा 1.7831 हैक्टर, ख.नं. 311 रकबा 1.2393 हैक्टर. कुल किता 5 रकबा 11.8117 हैक्टर इस प्रकार दोनों ग्रामों के कुल किता 6 रकबा 15.4033 हैक्टर भूमि पर मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रोविजन 3सी में स्थित केडियाज दी कोठी का योजना मानचित्र जारी करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा ग्राम सिरसी तहसील जयपुर के खसरा 2227/1 कुल किता 01 रकबा 3.5916 हैक्टर व ग्राम किशोरपुराचारणान तहसील जयपुर के खसरा नम्बर 306/1 रकबा 2.9846 हैक्टर, ख.नं. 307 रकबा 2.8960 हैक्टर, ख.नं. 309 रकबा 2.9087 हैक्टर, ख.नं. 310 रकबा 1.7831 हैक्टर, ख.नं. 311 रकबा 1.2393 हैक्टर. कुल किता 5 रकबा 11.8117 हैक्टर इस प्रकार दोनों ग्रामों के कुल किता 6 रकबा 15.4033 हैक्टर भूमि पर मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रोविजन 3सी में स्थित केडियाज दी कोठी का आवासीय योजना का मानचित्र अनुमोदन बीपीसी (एलपी) की 290वीं बैठक दिनांक 21.12.2020 को किया चुका है। अनुमोदित मानचित्र की प्रति पत्र के साथ सलंगन है।

सलंगन :- मानचित्र की प्रति

उपायुक्त जोन-12  
जयपुर विकास प्राधिकरण  
जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302 004  
दुरभाष - +91-141-2574798 : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटें: 8340 : फ़ैक्स +91-141-2574555

**सरकारी योजना को बनाया काले धन की फेक्ट्री!!!केडीया दी कोठी मे होगी 100 करोड़ से अधिक की मनीलॉन्डरींग!!**

आपकी यह जान कर, आंखे फटी की फटी रह जाएगी कि केडीया के कर्ता धर्ताओ ने इस सरकारी योजना के जरिये ना केवल सरकार को ही लाखो-करोड़ो रुपयो के राजस्व का चुना लगाया जा रहा है बल्कि इस योजना को काले धन की फेक्ट्री तक बना दिया है।इस योजना मे निवेश करने की सोच रहे कुछ ग्राहको ने नाम नहीं छापने की शर्त पर इस बात का खुलासा किया कि इस योजना मे जो निजी खातेदारों के नाम पर MIG-A के जो 191 आवास बनाए जा रहे है,कंपनी द्वारा इस MIG-A जिसका कुल क्षेत्रफल 108 वर्ग गज है ,को 60 लाख रुपए मे बेचा जा रहा है,प्रोजेक्ट की साइट पर बने ग्राहक सेवा केंद्र पर बैठी मार्केटिंग प्रतिनिधि से बात करने पर उनके द्वारा खुलासा किया गया कि इस

श्रेणी के मकान की रजिस्ट्री 45 लाख की करवायी जाएगी,बाकी के 15 लाख नकद के रूप मे देने पड़ेंगे।इस प्रकार MIG-A के कुल 191 मकानो पर 28 करोड़ 65 लाख रुपए काले धन के रूप मे ग्राहको की जेब से निकाल कर,केडीया की जेब मे जाएगा। इसी के साथ इस योजना मे LIG कटेग्रीरी के 682 भूखंड बनाए जाने है,कंपनी द्वारा LIG श्रेणी के एक मकान,जिसका साइज़ 90 वर्ग गज है,की कीमत 55 लाख रुपए रखी गयी है,कंपनी द्वारा इसकी रजिस्ट्री भी 45 लाख रुपए मे ही करवायी जा रही है ,बाकी के 10 लाख रुपए ब्लेक मे लिए जाने है।इस प्रकार LIG के कुल 682 मकानो पर 68 करोड़ 20 लाख रुपए काले धन के रूप मे ग्राहको की जेब से निकाल कर,केडीया की जेब मे जाएगा।

इसी प्रकार देखा जाए तो दोनों श्रेणियों के मकानो की कुल बिकवाली से करीब 96 करोड़ 85 लाख रुपए का काला धन मनी लॉन्डरींग के जरिये केडीया बिल्डर की जेब मे पहुँच जाएगा।इसी के साथ कम दर पर रजिस्ट्री करवाने से करीब 8 करोड़ के राजस्व का नुकसान होगा वह अलग।

**FIXED PRICE**

**Kedia's THE KOTHI**  
Sirsi Road, Vaishali Extension, Jaipur

**NO MIDDLE-MEN DIRECT TO CUSTOMER**

**PRICE LIST (ALL INCLUSIVE)**

TYPE	SUB-TYPE	PRICE	LOANABLE AMOUNT
KOTHI A	A	30/33 LACS	Upto 90%
KOTHI B	B1, B2, B3	45 LACS	Upto 80%
KOTHI C	C1, C2, C3	SOLD OUT	---

**CONSTRUCTION LINKED PAYMENT PLAN**

S.No.	STAGE OF CONSTRUCTION	AMOUNT
1.	At The Time Of Booking	10%
2.	On Completion Of Plinth	20%
3.	On Casting Of First Floor Slab	30%
4.	On Completion Of Plaster	20%
5.	On Completion Of Flooring	10%
6.	On Intimation Of Possession	10%

(\*GST, Registration, Stamp Duty, Legal, Home Loan Related Charges Extra As Applicable)

**EXPECTED POSSESSION DATE: PHASE-I: Dec. 2023 | PHASE-II: Dec. 2024**

**DOCUMENTS REQUIRED FOR HOME LOAN**

Kedia's THE KOTHI Bank Details  
Kedia's THE KOTHI Phase-I  
Name: KEDIA REAL ESTATE LLP  
Bank Name: HDFC Bank Ltd  
Branch: Jhotwara, Jaipur  
A/C No. 50200057484203  
A/C Type: Current  
IFSC Code: HDFC0003931

Kedia's THE KOTHI Phase-II  
Name: KEDIA REAL ESTATE LLP  
Bank Name: HDFC Bank Ltd  
Branch: Jhotwara, Jaipur  
A/C No. 50200058329856  
A/C Type: Current  
IFSC Code: HDFC0003931

2 Passport Size Photos  
PAN Card

अपने ब्रोशर मे केडीया द्वारा सी टाइप कोठी(सी1,सी2,सी3) को बिका हुआ बताया जा रहा है जबकि मौके पर बैठी ग्राहक सेवा प्रतिनिधि द्वारा इसे 60 लाख रुपए मे एवलेबल बताया जा रहा है।



मुख्यमंत्री आवास  
योजना में अब तक का  
सबसे बड़ा  
घोटाला, EWS और  
LIG श्रेणी के आवासों  
को ऊंचे दामों में  
सामान्य श्रेणी के  
ग्राहकों को बेच  
कर, स्टैम्प ड्यूटी के पेटे  
करोड़ों रुपयों के  
राजस्व को लगाया जा  
रहा चुना!!!



कंपनी की ग्राहक सेवा प्रतिनिधि के अनुसार EWS और LIG श्रेणी के आवासों की रजिस्ट्री मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत महज 1.87% (केवल महिला पात्र) और 2.5% में करवाने की रियायत दी रही है। जबकि सामान्य श्रेणी में यह दर 8.8% (पुरुष वर्ग)/7.5% (महिला वर्ग) निर्धारित है।

इस प्रकार यदि EWS श्रेणी के आवास जिसकी कीमत 30 लाख रुपए है की रजिस्ट्री सामान्य श्रेणी (8.8%) में करवाई जाती तो रजिस्ट्री के पेटे 264000 खर्च होंगे, लेकिन इसे EWS श्रेणी का लाभ लेते हुए 1.87% में करवायी जाएगी तो 56100 रुपए में ही हो जाएगी, इस प्रकार दोनों में 207900 का भारी अंतर आता है, यदि इसे कुल 219 मकानों से गुणा किया जाए तो यह रकम 45530100/- यानि कि 4 करोड़ 56 लाख 30 हजार 100 रुपए होती है।

इसी तरह यदि LIG श्रेणी के आवास जिसकी कीमत 45 लाख रुपए है, की रजिस्ट्री सामान्य श्रेणी (8.8%) में करवाई जाती तो रजिस्ट्री के पेटे 396000 रकम होंगे, लेकिन इसे LIG श्रेणी का लाभ लेते हुए 2.5% में करवायी जाएगी तो यह रजिस्ट्री महज 112500 रुपए में ही हो जाएगी, इस प्रकार दोनों में 283500 का भारी अंतर आता है, यदि इसे कुल 682 मकानों से गुणा किया जाए तो यह रकम 19,33,47000/- यानि कि 19 करोड़ 33 लाख 47 हजार रुपए होती है।

इस प्रकार दोनों श्रेणियों क्रमशः EWS और LIG श्रेणियों में कम दर पर रजिस्ट्री करवाने से राज्य सरकार को 4,55,30,100+19,33,47000/=23,89,77,100 सीधे सीधे राजस्व का चुना लगाया जा रहा है।

**(B) Eligibility for Beneficiaries / Applicants for EWS / LIG Categories:**

- (i) The maximum annual income of applicants should be as follows or as per guidelines issued from time to time by State Government:-

Income Group	Maximum Income per Year (In Rs )
Economically Weaker Sections (EWS)	Up to Rs.1,50,000/-
Lower Income Groups (LIG)	Above Rs.1,50,000/- upto 3,00,000/-

- (ii) Income certificate to be certified by concerned Employer in case of salaried individual & if the individual is self employed the income certificate to be certified by Tehsildar/Municipal Officers/S.D.O. or any State official authorized by the State Government or self attested income and residence certificate/affidavit duly notarized. Beneficiary identification shall be linked to AADHAR / BHAMASHAH card or any other unique identification to avoid duplication of allotment.

- (iii) The applicant should not own any leasehold or freehold house or plot either in his own name or in the name of spouse or any dependent member (including unmarried children) of his family in any urban area of Rajasthan. An affidavit certified by the Notary Public shall be submitted to this effect.
- (iv) The flat allotted to applicant must be occupied within one year of taking over the possession of the same failing which the allotment may be cancelled and allotted to another applicant from the waiting list.
- (v) The beneficiaries shall not be allowed to sell the housing unit within 10 years from date of allotment. In case of sale of EWS/LIG units within 10 years of allotment, such allotment shall be cancelled and allotted to another applicant from the waiting list.
- (vi) The applicant must be a bonafide resident of the state of Rajasthan. At the time of application, an affidavit to this effect may be submitted by him. However at the time of enlistment in the eligibility list, he will have to submit bonafide certificate issued by the competent authority, otherwise his registration is liable to be cancelled. This condition will not be valid for housing projects for specific group of persons like industrial workers, fishermen, mining workers etc. for whom a special housing complex could be constructed. In case, sufficient number of applications are not received from bonafide residents of the state of Rajasthan then applicants from other states (Indian Nationals only) who are working in the particular town/city for at least 1 year may be considered for allotment provided they produce the certificate/affidavit to this effect duly notarised.
- (vii) Every allottee shall become member of the Residents Welfare Society, which will maintain common services and regular up keep of housing property and shall pay monthly maintenance charges to the society as prescribed. An undertaking to this effect will have to be signed by the allottee before possession is handed over to him. The concerned local authority would ensure that RWA is constituted as per rules /laws in force.

मुख्यमंत्री जन  
आवास योजना-  
2015 के तहत  
EWS/LIG  
लाभार्थियों के लिए  
पात्रता



सैंकड़ों ग्राहको को कोठी के नाम पर सपना दिखा कर बनाया जा रहा कानून का गुनहगार!!!,सामान्य श्रेणी के उपभोक्ताओ को EWS/LIG श्रेणी का आवास खरीदने पर देना होगा झूठा शपथपत्र

जैसा कि आपको बताया गया है कि इस योजना मे ग्राहको को सस्ती रजिस्ट्री का झांसा देकर,बरगलाया जा रहा है,लेकिन ग्राहको को यह समझ नहीं आ रहा है,कि जाने,अनजाने वह कानून की नजर मे गुनाहगार जरूर बन रहा है।क्यूंकी यदि उसे EWS/LIG श्रेणी के तहत सस्ती रजिस्ट्री का फायदा लेना है तो उसे 100 रुपए के स्टाम्प पर एक शपथ पत्र देना

पड़ेगा कि उसकी आय EWS/LIG श्रेणी के अनुसार क्रमशः 1,50,000 और 3,00,000 रुपए है(मुख्य मंत्री जन आवास योजना 2015 के अनुबन्धो के अनुसार)।झूठा शपथपत्र देने पर,आईपीसी की धारा 191,193,195 और 199 के तहत 3 से 7 साल की सजा का प्रावधान है।



## Punishment-

**Situation 1** - If a court has ordered any party to file an affidavit, then filing a false affidavit in such a case is punishable as per Section 2(c) of the Contempt of the Courts Act,1971. Submitting false evidence is also known as committing criminal contempt. Punishment for contempt of court is for a term which may extend to 6 months.

**Situation 2** - If a person voluntarily files a false affidavit, then he/ she can be punished under section 191,193,195 and 199 of the Indian Penal Code for giving false evidence. Punishment for filing a false affidavit is punishable by imprisonment for a term ranging from 3 to 7 years.

**Situation 3** - If a false affidavit is given in any quasi-judicial proceedings, then a private complaint can be filed under section 200 of the Indian Penal Code before a competent magistrate.

## केडीया के विज्ञापन जाल मे फंसा ग्राहक,खुलेआम हो रहा ठगी का शिकार।बोलने वाला कोई नहीं।

केडीया का विज्ञापन जाल इतना तगड़ा है कि किसी सामान्य ग्राहक को सोचने समझने का मौका ही नहीं मिलता।मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत यदि EWS/LIG आवासो की बिक्री की जाती तो ग्राहक को 1600 रुपए प्रति वर्ग फीट के अनुसार भुगतान करना होता,इस हिसाब से 900 बिल्टअप क्षेत्रफल वाले EWS आवास का कुल भुगतान 14,40,000/- रुपए होता जबकि केडीया द्वारा इसे 3333/-प्रति वर्ग फीट के भाव से कुल 30,00,000/- रुपए मे बेच रहा है यानि ग्राहक से एक यूनिट पर 1733 वर्ग फीट ज्यादा वसूले जाकर,15,59,700/-रुपए अधिक यानि दुगुने वसूले जा रहे है।यदि इस राशि को कुल 219 आवासो से गुणा किया जाए तो केडीया द्वारा कुल 34,15,74,300 रुपए EWS आवासो के पेटे ग्राहको से अधिक वसूले जा रहे है।



इसी प्रकार 1500 बिल्टअप क्षेत्रफल वाले LIG आवास का कुल भुगतान योजना के अनुसार 1600 रु/प्रति वर्ग फीट के अनुसार 24,00,000/- रुपए होता है जबकि केडीया द्वारा इसे 3666/-प्रति वर्ग फीट के भाव से कुल 55,00,000/- रुपए में बेच रहा है यानि ग्राहक से एक यूनिट पर 2066 वर्ग फीट ज्यादा वसूले जाकर,31,00,000/-रुपए अधिक वसूले जा रहे हैं।यदि इस राशि को कुल 682 आवासों से गुणा किया जाए तो केडीया द्वारा कुल 211,42,00,000 रुपए LIG आवासों के पेटे ग्राहकों से अधिक वसूले जा रहे हैं।

हालांकि मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 में दिनांक 20/01/2020 को किए गए संशोधन 5सी के अनुसार मूल पॉलिसी के प्रोविज़नों 1ए,1बी,1सी,2&4 में मेक्सिमम सेल प्राइज़ में ढील दी गयी है।इस संशोधन में सरकारी और निजी विकासकर्ताओं द्वारा कीमती जमीन पर बनाए जा रहे EWS/LIG परियोजनाओं को ध्यान में रखते हुए,अधिकतम विक्रय मूल्य(Maximum Sale Price) में ढील दी गयी है।

इस संशोधन ने जहां आर्थिक दृष्टि से कमजोर और कम आय वर्ग के लोगों के लिए छत का सपना देख रही सरकार की मंशा पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है वहीं,बिल्डर को खुलेआम जनता को लूटने की छूट दे है।केडीया की कोठी के मामले में शहर से दूर जंगल में खरीदी इस जमीन को कीमती कह कर,इस छूट का लाभ देना,दूसरे बड़े बिल्डरों,जो कि शहर के नजदीक कॉलोनी विकसित करते हैं, के भी गले नहीं उतर रही है।

**जेडीए ने दी केडीया को खुली लूट की छूट!!मुख्य मंत्री जन आवास योजना 2015 के तहत EWS/LIG श्रेणी की लॉटरी करने का प्रावधान, लेकिन इस योजना में सीधे ग्राहकों को बेचे जा रहे भूखंड|क्या एक आर्थिक कमजोर वर्ग(EWS) का व्यक्ति 30/33 लाख रुपए का मकान खरीद सकता है?**

मुख्य मंत्री जन आवास योजना 2015 के तहत EWS/LIG श्रेणी की लॉटरी करने का प्रावधान है,लेकिन योजना में बूकिंग करने वाले ग्राहकों को ऐसी कोई बात नहीं बताई जा रही और उन्हें सीधे ही बूकिंग अमाउंट जमा,करवाने को कहा जा रहा है।ऐसे में सवालिया निशान खड़े होना स्वाभाविक है कि नियमों के तहत होने वाली लॉटरी सिस्टम का क्या हुआ या होगा?

इतना ही नहीं सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि सरकार द्वारा रिकशे,ऑटो,थडी और ऐसे छोटे-मोटे व्यवसाय करने वालों को ध्यान में रखते हुए,उनके लिए, घर का सपना पूरा करने के लिए, EWS आवास की योजना को अमलीजामा पहनाया गया था,लेकिन केडीया जैसे भ्रष्ट बिल्डरों ने भ्रष्ट अधिकारियों के साथ साँठ-गांठ कर ना केवल गरीबों के सपनों को चकनाचूर कर दिया है बल्कि भ्रष्टाचार की मिसाल कायम कर दी है।क्या आप सोच सकते हैं कि जहां अन्य EWS की निजी भागीदारी/ सरकारी योजनाओं का लाभ लेने वाले 10-12 लाख रुपए में अपने घर का सपना पूरा कर रहे हैं,उसी श्रेणी का व्यक्ति 30/33 लाख रुपए में केडीया की कोठी कैसे खरीदेगा?साथ ही साथ 54 वर्ग गज में 900 वर्ग फीट बिल्टअप कंस्ट्रक्शन में बनने वाले Raw-House को कोठी शब्द से संबोधित कर,सीधे सीधे ग्राहकों के साथ ठगी कर रहा है।

## आखिर क्या है मुख्यमंत्री जन आवास योजना में जोड़ा गया नया प्रावधान प्रोविज़न 3सी?कैसे इस प्रोविज़न का नाजायज फायदा उठा कर लगाया गया राजस्व को करोड़ों का नुकसान?

आपको बता दें कि वर्ष 2015 में आयी मुख्यमंत्री जन आवास योजना के शुरुआत में प्रोविज़न 3सी नहीं था, 20 जनवरी 2020 को पॉलिसी में संशोधन कर, प्रोविज़न 3सी जोड़ा गया। इस प्रोविज़न को जोड़ने का उद्देश्य व्यापक जन हित बताया गया था और केस टू केस आधार पर केवल राज्य सरकार के निर्देश पर ही इस प्रोविज़न का फायदा दिया जाना था।

इस प्रोविज़न के तहत बिल्डर को प्लॉट विकसित कर, G+1 फ्लोर बनाने की स्वतन्त्रता दी गयी, इसी के साथ मैक्सिमम सेलेबल एरिया 70% रखा गया, 100% प्लॉट EWS/LIG/MIG-A श्रेणी हेतु निर्धारित किए गए। इस प्रोविज़न में भी बिल्डर को प्रोविज़न 3बी के तहत रियायतें दी गयीं। जिसमें कनवर्ज़न फीस में 100% छूट, नक्शे पास करवाने में 100% के साथ अन्य रियायतें शामिल हैं। यदि बिल्डर द्वारा इस जमीन पर सामान्य तौर पर, कॉलोनी विकसित की जाती तो उसे इन रियायतों का फायदा नहीं मिलता। जिससे भी सरकार को करोड़ों रुपयों के राजस्व की हानि होना निश्चित है।

### लोन लेने के लिए केडीया के कर्ता धर्ताओं ने योजना के सभी वर्गों के सभी भूखंडों, दुकानों के पट्टे उठाए अपने नाम से।

आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस योजना के सभी 1092 आवासीय भूखंडों (EWS/LIG/MIG-A) और सभी 116 दुकानों के जेडीए पट्टे कंपनी द्वारा अपने नाम से उठाए जा चुके हैं। सवाल यह है कि जब योजना EWS/LIG के लिए स्वीकृत हुई है तो उसके भूखंडों का मालिक विकासकर्ता कैसे बन सकता है? लेकिन बिल्डर द्वारा जेडीए के अधिकारियों से साँठ-गांठ कर, सभी आवासीय भूखंडों और दुकानों के पट्टे उठाकर, उन्हें बैंक में बंधक रख लोन ले लिया गया है। अब यदि भविष्य में प्रोजेक्ट के निर्माण में कोई रोड़े-टंटे आते हैं तो मामला बैंक और उपभोक्ता में बीच फंस कर रह जाएगा और केडीया अपनी पोटली लेकर गायब हो जाएगा। जिसका सीधा खामियाजा EWS/LIG जैसी श्रेणी के उपभोक्ताओं को भुगतना पड़ेगा और कोर्ट-कचहरी, बैंक के नोटिस, रिक्वरी, पजेशन जैसी परेशानियों से 2-4 होना पड़ेगा। आदर्श क्रेडिट मामले का हथ्र हम जानते हैं, जिनके द्वारा बनाई

गयी बिल्लिंगों आज तक ईडी, बैंको, रेरा के चक्करों में फंसी हुई है।

जेडीए के रिकॉर्ड के अनुसार योजना के सभी भूखंड/दुकाने कंपनी के नाम बताई गयी है											
PlotNo	ID	Current Owner	Use	Area	Date	Date	Date	Fate	Lottery	Ledger	
1020	9146001020	KEDIA REAL ESTATE LLP THROUGH PARTNER NITIN KEDIA	Residential	44.99 SQ. METER	01/07/2021		06/04/2021				<a href="#">View</a>
1021	9146001021	KEDIA REAL ESTATE LLP THROUGH PARTNER NITIN KEDIA	Residential	44.99 SQ. METER	01/07/2021		06/04/2021				<a href="#">View</a>
1022	9146001022	KEDIA REAL ESTATE LLP THROUGH PARTNER NITIN KEDIA	Residential	44.99 SQ. METER	01/07/2021		06/04/2021				<a href="#">View</a>
1023	9146001023	KEDIA REAL ESTATE LLP THROUGH PARTNER NITIN KEDIA	Residential	44.99 SQ. METER	01/07/2021		06/04/2021				<a href="#">View</a>
1024	9146001024	KEDIA REAL ESTATE LLP THROUGH PARTNER NITIN KEDIA	Residential	44.99 SQ. METER	01/07/2021		06/04/2021				<a href="#">View</a>
1025	9146001025	KEDIA REAL ESTATE LLP THROUGH PARTNER NITIN KEDIA	Residential	44.99 SQ. METER	01/07/2021		06/04/2021				<a href="#">View</a>



## मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 मे जोड़ा गया नया प्रोविज़न

### Provision- 3C

Development of EWS / LIG Plots / Houses by Private Developer on Private Land (Plotted Development in the format of developed Plots and units upto G+1 floors)

### General / Technical Parameters –

इस प्रोविज़न को जोड़ने का उद्देश्य व्यापक जन बताया गया था और केस टू केस आधार पर केवल राज्य सरकार के निर्देश पर ही इस प्रोविज़न का फायदा दिया जाना था। लेकिन जन हित की आड़ लेकर, केडीया को लूट की छूट दे दी

S.No.	Description of Provisions	Parameters
1.	Minimum Area	0.50 hec.
2.	Land distribution	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maximum Saleable area – 70%</li> <li>100% Plots for EWS/LIG/MIG-A category only.</li> <li>Minimum 20% Plots for EWS, Minimum 50% Plots for LIG and remaining Plots for MIG-A* category.</li> <li>Minimum 5% area for Park/Open Space and Minimum 5% area for Facilities</li> <li>Minimum 1% area for Informal shops.</li> </ul>
3.	Minimum Plots to be constructed	Out of total Residential Plots of EWS/LIG/MIG-A proposed in the Scheme, developer has to construct EWS/ LIG/MIG-A units Upto G+1 Floors on minimum 20% Plots under each category.
4.	Approach Road	Minimum 9.0 m.
5.	Minimum Internal Roads for EWS/LIG component	
	Width of Internal Roads {in meters}	Length of Internal Roads (Max.) {in meters}
	6.0	75
	7.5	150
	9.0	250
	12.0	Above 250

### Note:-

- The proposed projects under Provision-3C shall be examined on case to case basis, looking to the utility and in larger public interest and shall be decided by the State Government.

C:\Users\Acer\Downloads\notification -CMJAY Proposal 15.01.2020 (1).docx

इस प्रोविज़न में भी बिल्डर को प्रोविज़न 3बी के तहत रियायतें दी गयीं|जिसमें कनवर्ज़न फीस में 100% छूट, नक्शे पास करवाने में 100% के साथ अन्य रियायतें शामिल हैं|यदि बिल्डर द्वारा इस जमीन पर सामान्य तौर पर, कॉलोनी विकसित की जाती तो उसे इन रियायतों का फायदा नहीं मिलता|जिससे भी सरकार को करोड़ों रुपयों के राजस्व की हानि होना निश्चित है

of 120 units/acre shall not be mandatory.

- These parameters shall be applicable for upcoming and ongoing projects under CMJAY
- Incentives provided for developers shall be as per Provision 3"B", only for EWS / LIG component. For the land area (Saleable) under MIG-A houses, the conversion charges, Building Plan approval charges are to be paid by developers as per prescribed norms / byelaws.

\*Maximum plot area of MIG-A category shall be 76-120 sq.mts. with minimum frontage of 4.5 mt.

## 2. Revisions – General Conditions

4A - The Timeline for completion of EWS/LIG components of the projects proposed under all provisions shall be as below:-

- |                                       |   |            |
|---------------------------------------|---|------------|
| i. Upto 200 EWS/LIG units             | - | 30 months. |
| ii. Above 200 upto 400 EWS/LIG units  | - | 36 months. |
| iii. Above 400 upto 600 EWS/LIG units | - | 48 months. |
| iv. Above 600 EWS/LIG units           | - | 60 months. |

5A - For EWS/LIG category the sale price under the provision no. 1A, 1B, 1C, 2 & 4 are specified. General sale price for EWS/LIG flats would be Rs. 1600/- per sq.ft. under these provisions. For sale of EWS/LIG plots, sale price shall be as per Rule 18 of The Rajasthan Improvement Trust (Disposal of Urban Land) Rules, 1974. The sale price of EWS/LIG units wherever applicable shall be increased by 5% annually in the beginning of each financial year, however, the next revision shall be w.e.f. 1st April, 2020, these provisions shall be applicable for upcoming and ongoing projects under these provisions of CMJAY.

5C. - New provision at Point no.5 " Price of Allotment " is added as below:-

*"5C - The maximum sale price in provision no. 1A, 1B, 1C, 2&4 specified in the Policy may be relaxed by the State Government in the projects proposed on precious lands of Government Agencies and Private Developers."*

This bears the approval of competent authority.

(Mangeesh Goyal)

मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 में दिनांक 20/01/2020 को किए गए संशोधन 5सी के अनुसार मूल पॉलिसी के प्रोविज़नों 1ए, 1बी, 1सी, 2&4 में मेक्सिमम सेल प्राइज़ में ढील दी गयी है|इस संशोधन में बताया गया है कि सरकारी और निजी विकासकर्ताओं द्वारा कीमती जमीन पर बनाए जा रहे EWS/LIG परियोजनाओं को ध्यान में रखते हुए, अधिकतम विक्रय मूल्य(Maximum Sale Price) में ढील दी गयी है|



जेडीए अधिकारियों की कारस्तानी का नमूना! पर्यावरण स्वीकृति लेने से बचने के लिए कुल जमीन को डेढ़ लाख वर्ग मीटर से किया कम, जबकि जमाबंदी के अनुसार इस योजना की जमीन डेढ़ लाख वर्ग मीटर से ज्यादा।

केडियाज़ पर जेडीए अधिकारियों की मेहरबानी इस प्रोजेक्ट की शुरुआत से ही रही है। जिसका नमूना है, इस जमीन की पेमाईश। आपको बता दें कि टाउनशिप प्रोजेक्टों के लिए पर्यावरण स्वीकृति लेनी आवश्यक होती है। बशर्ते क्षेत्र डेढ़ लाख वर्ग मीटर से ज्यादा हो। केडीया द्वारा

काटी गयी इस योजना का कुल क्षेत्रफल 154033 वर्ग मीटर है जिसे, पर्यावरण स्वीकृति लेने की अनिवार्यता से बचाने के लिए इस जमीन में 5388.79 वर्ग मीटर का लैंड लॉस बता दिया गया। जिससे इस योजना का कुल क्षेत्रफल 148644 बताया गया, जिसके चलते यह योजना डेढ़ लाख वर्ग मीटर से कम हो जाने के चलते इसे ईसी की अनिवार्यता से बचा लिया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि ईसी के अलावा इस बड़े प्रोजेक्ट के लिए प्रदूषण विभाग, भूजल विभाग से भी अनुमति लेना अनिवार्य होता है, लेकिन केडीया द्वारा ऐसी कोई अनुमतियाँ नहीं ली गयीं।

### क्या EWS/LIG श्रेणी वाला दे पाएगा 2 रुपए प्रति वर्ग फीट का मेंटेनेंस?

इस योजना की जानकारी देने वाली ग्राहक प्रतिनिधि ने बताया कि इस योजना के नियमित मेंटेनेंस के लिए 2 रुपए प्रति वर्ग फीट के देने होंगे, यदि एक ग्राहक द्वारा EWS कटेगरी का 900 वर्ग फीट वाला मकान लिया गया है तो उसे कुल 1800 रुपए मासिक मेनेजमेंट सोसाइटी को देने होंगे। आप सोच सकते हैं कि यदि वाकई इस प्रोजेक्ट में कोई आर्थिक दृष्टि से कमजोर व्यक्ति EWS का आवास खरीदता है तो क्या उसके लिए अपनी खून-पसीने की कमाई में से 1800 रुपए मासिक देना संभव है?

-: क्षेत्रफल विश्लेषण :-				
प्रयोजन	क्षेत्रफल वर्गमीटर	प्रतिशत	Saleable	
आवासीय	ईडब्ल्यूएस मूखण्ड	9736.60	6.62%	54.58
	एलआईजी मूखण्ड	48603.06	33.06%	
	आवासीय मूखण्ड (खातेदार)	18651.60	12.69%	
रिटेल कॉमर्शियल	3254.98	2.21%		
फैसिलिटी (क्लब हाउस)	1350.02	0.92%		
फैसिलिटी	1001.27	0.68%		
पार्क	7395.80	5.03%		
सोलिड वेस्ट डिस्पोजल	158.31	0.11%		45.42
टेलिकॉम (टावर)	165.17	0.11%		
जोनल प्लान रोड (24मी. 30मी. व 48मी.)	24618.48	16.75%		
रोड	32077.71	21.82%		
कुल एरिया	147013	100.00%		
भविष्य विस्तार	1631.21			
कुल योजना क्षेत्रफल	148644			
लैंड लॉस एरिया	5388.79			
90ए जमाबन्दी क्षेत्रफल	154033			

## पार्किंग के नाम पर हो रहा मज़ाक

यदि यह प्रोजेक्ट वाकई आर्थिक कमजोर और निम्न आय वर्गों के लिए बन रहा होता तो इस योजना में जो पार्किंग की सुविधा बताई गयी थी वह जायज थी, लेकिन जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि इस योजना को आर्थिक कमजोर और निम्न आय वर्गों के नाम पर अन्य वर्गों को बेचा जा रहा है, जिसमें से अधिकतर कारे मँटेन करते हैं, ऐसे में इन लोगों को अपनी कारे बाहर सड़क पर ही खड़ी करनी पड़ेगी। अब आप सोच सकते हैं कि 7.5 मीटर, 9.00 मीटर की सड़कों पर जब कारे खड़ी होने लगेगी तो इस योजना के पूरे बस जाने पर यहाँ के यातायात का क्या हाल होगा?

### जवाब मांगते सवाल?

1. क्या केडीया द्वारा MIG-A मकानों को 60 लाख में और एलआईजी के मकानों को 55 लाख का बेचकर, वास्तविक रजिस्ट्री महज 45 लाख की नहीं करवाई जा रही है? क्या केडीया द्वारा प्रति MIG-A मकान पर 20 लाख और प्रति LIG के मकान पर 15 लाख का काला धन जनरेट नहीं किया जा रहा है? क्या केडीया के कर्ता-धर्ता PMLA act 2002 के तहत दोषी नहीं हैं?
2. क्या प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग को केडीया के काले धन की जानकारी है? क्या प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग जैसी जांच एजेंसियां केडीया की कोठी योजना में हो रहे 100 करोड़ के नकद लेनदेन/मनीलॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर, कार्यवाही करेगी।
3. क्या केडीया द्वारा EWS और LIG श्रेणी के आवासों को ऊंचे दामों में सामान्य श्रेणी के ग्राहकों को बेच कर, स्टैम्प ड्यूटी के पेटे करोड़ों रूपयों के राजस्व का चुना नहीं लगाया जा रहा है?
4. क्या रजिस्ट्रार विभाग केडीया की कोठी योजना में केडीया द्वारा EWS और LIG श्रेणी के आवासों को ऊंचे दामों में सामान्य श्रेणी के ग्राहकों को कम रजिस्ट्री दर के अनुसार बेच कर, स्टैम्प ड्यूटी के पेटे करोड़ों रूपयों के राजस्व चोरी के मामले की जांच करेगा?
5. क्या 54 वर्ग गज में 900 वर्ग फीट बिल्टअप कंस्ट्रक्शन में बनने वाले Raw-House को कोठी शब्द से संबोधित कर बेचना, सीधे सीधे ग्राहकों के साथ ठगी नहीं है?



545 पेज का फैसला : पीएमएलए में गिरफ्तारी और संपत्ति जब्त करना सही  
ईडी की शक्तियों पर सुप्रीम मुहर

कार्ति और देशमूह संपत्ति  
Laundering no less heinous an  
offence than terrorism, says SC



6. क्या अन्य EWS की निजी भागीदारी/सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर, 10-12 लाख रुपए में अपने घर का सपना पूरा करने वाला आर्थिक दृष्टि से कमजोर कोई व्यक्ति 30/33 लाख रुपए में केडीया की कोठी खरीद सकता है?
7. केडीया द्वारा सामान्य श्रेणी के उपभोक्ताओं को EWS/LIG श्रेणी का आवास खरीदने के लिए झूठा शपथपत्र देने के लिए उकसाया जा रहा है। क्या झूठा शपथ पत्र देने से सैंकड़ों लोग जाने/अनजाने कानून की नजर में गुनहगार नहीं बन जाएंगे?
8. क्या एसओजी/एसीबी या सीबीआई जैसी जांच एजेंसियां इतने बड़े पैमाने पर EWS/LIG के ग्राहकों द्वारा दिये जाने वाले फर्जी आय प्रमाण पत्रों के मामले की जांच करेगी?
9. मुख्य मंत्री जन आवास योजना 2015 के तहत EWS/LIG श्रेणी की लॉटरी करने का प्रावधान है, लेकिन योजना में बूकिंग करने वाले ग्राहकों को ऐसी कोई बात नहीं बताई जा रही और उन्हें सीधे ही बूकिंग अमाउंट जमा, करवाने को कहा जा रहा है। ऐसे में नियमों के तहत EWS/LIG श्रेणी के लिए होने वाली लॉटरी सिस्टम का क्या हुआ या होगा?
10. पर्यावरण स्वीकृति के दायरे में आने से बचने के लिए, केडीया की जमीन को डेढ़ लाख वर्ग मीटर से कम करने के पीछे किसका हाथ है?
11. क्या केडीया द्वारा प्रदूषण विभाग से कनसेंट टू ओपरेट ली गयी है? क्या 60 बीघा जमीन पर विकसित की जा रही इस योजना में पर्यावरण स्वीकृति और प्रदूषण विभाग की कनसेंट टू ओपरेट लेने की आवश्यकता नहीं है? क्या इस मामले में पर्यावरण और प्रदूषण विभाग संज्ञान लेगा?
12. क्या केडीया द्वारा इस बड़ी योजना में भूजल विभाग से भूजल दोहन की अनुमति ली गयी है? आखिर 60 बीघा क्षेत्र में हो रहे निर्माण के लिए और इस योजना के पूर्ण रूप से बन जाने के बाद, यहां के हजारों निवासियों की मूल भूत आवश्यकताओं के लिए जल की आपूर्ति और सीवरेज की निकासी कहाँ से होगी?
13. केडीया द्वारा इस योजना के भूखंडों को किस बैंक में रहन रख कर लोन लिया गया है? स्वीकृत लोन की कुल राशि कितनी है? क्या संबन्धित बैंक के अधिकारियों को योजना की हकीकत पता है?
14. क्या इस योजना का हथ्र आदर्श क्रेडिट मामले जैसा तो नहीं हो जाएगा, जिनके द्वारा बनाई गयी बिल्डिंगें आज तक ईडी, बैंको, रेरा के चक्करों में फंसी हुई हैं।
15. क्या मुख्यमंत्री के नाम से स्वीकृत इस योजना में खुलेआम हो रही धोखाधड़ी/जालसाजी/काले धन की हेराफेरी से मुख्यमंत्री की बदनामी नहीं हो रही?
16. इस योजना में 25% भूखंड खातेदार के नाम बताए गए हैं, आखिर इस योजना में कौन खातेदार है और खातेदार के नाम 25% भूखंड देने का मकसद क्या है?

17. क्या केडीया द्वारा मुख्य मंत्री जन आवास योजना 2015 के तहत EWS/LIG श्रेणी के मकानों को 30 लाख-55 लाख रुपए में बेचने के किस्से जेडीए/UDH/CMO के जिम्मेदार अधिकारियों के कानों में अब तक नहीं पहुंचे? या उन्हें सुनकर भी अनसुना कर दिया जा रहा है?
18. कौन है वो जेडीए/UDH/CMO के जिम्मेदार अधिकारी, जिनकी शह पर केडीया इतना बड़ा खेल खेल रहा है?
19. क्या केडीया की करतूतों से बेईमान बिल्डरों को मनमर्जी करने की छूट नहीं मिलेगी? क्या इससे ईमानदार बिल्डरों में निराशा की भावना नहीं आएगी?
20. क्या केवल केडीया जैसे बिल्डरों को अनैतिक फायदा पहुंचाने के लिए ही मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 में प्रोविज़न 3सी जोड़ा गया है?
21. मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 में प्रोविज़न 3सी के तहत टाउनशिप विकसित करने के लिए, विकासकर्ता के रूप में केडीया को किन किन रियायतों का लाभ दिया गया? यदि इसी योजना को सामान्य योजना के रूप में विकसित किया जाता तब केडीया को मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के तहत किन किन रियायतों का लाभ मिल पाता?
22. मुख्यमंत्री जन आवास योजना में प्रोविज़न 3सी जोड़ने का प्रयोजन व्यापक जन हित बताया गया था और केस टू केस आधार पर केवल राज्य सरकार के निर्देश पर ही इस प्रोविज़न का फायदा दिया जाना था। केडीया की इस योजना में आखिर सरकार में बैठे नुमाइन्दों को क्या व्यापक जन हित नजर आया? जेडीए/यूडीएच विभाग/CMO में किन किन अधिकारियों द्वारा केडीया की इस योजना को अमलीजामा पहनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गयी?
23. क्या विभाग के मंत्री शांति धारीवाल और विभाग के प्रमुख शासन सचिव को केडीया द्वारा की जा रही धांधलीयों की जानकारी है?
24. क्या बहुचर्चित एकल पट्टे जैसे इस मामले की लपट भी दूर तक जाएगी?

**ऐतिहासिक**  
900 Sq. Ft. बिल्ट-अप एरिया वाली  
**3 BHK कोठी सिर्फ 30 लाख में!**  
क्योंकि सपने देखने का हक सबको है!

NO MIDDLE-MEN DIRECT TO CUSTOMER

Kedia's THE KOTHI

FIXED PRICE

सबसे पहले 3 लाख की EMI 17000

SIRSI ROAD, VAISHALI EXTENSION, JAIPUR

**KEDIA** Transforming Reality

TOLL FREE: 1800-120-23-23, 7877-07-27-37  
www.kedia.com | www.kediahomes.com | info@kediahomes.com  
www.res.nagathar.com | Reg. No. RAJ/2021/1823, RAJ/032/1/1526